संचिका सं0-सी0/सी0आई0मिस0-4012/2016................/

फैक्स/स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज

पटना, दिनांक-........................2017

विषयः- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उनके पत्रांक-127/सा0, दिनांक 25.01.2017 के आलोक में दिनांक 15.04.2016 को (रामनवमी पर्व में) दो गुटों के बीच साम्प्रदायिक/सामुहिक जातीय विरोधाभाव संबंधी घटना से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान हेतु याचित राशि कुल ₹3,23,500.00 (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रू) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-127/सा0, दिनांक 25.01.2017 के आलोक में निम्नवत् राशि की स्वीकृति देते हुए आवंटित किया जाता हैः-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को वर्त्तमान में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को इस मद में कुल आवंटित राशि।
शून्य	₹3,23,500.00 (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रू)	₹3,23,500.00 (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रू)

आदेशः- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त राशि ₹3,23,500.00 (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रू) मात्र बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उपशीर्ष -0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 2235602000004, विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-127/सा0, दिनांक 25.01.2017 के आलोक में 15.04.2016 को (रामनवमी पर्व में) दो गुटों के बीच साम्प्रदायिक/सामुहिक जातीय विरोधाभाव संबंधी घटना से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान हेतु याचित राशि कुल ₹3,23,500.00 (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रू) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है। इस राशि का किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जाएगा।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989/बी (2), दिनांक-16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की होगी।

SEC:C:MAHDRAFTS

6. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज यह सुनिश्चित कर लेंगे की उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान विषयांकित साम्प्रदायिक घटना में प्रभावितों की पहचान कर की गई है।

7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि प्रभावित व्यक्तियों का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, गोपालगंज भुगतान के पूर्व उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि वे भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

9. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4012/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4012/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4012/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4012/2016 1236 /पटना,दिनांक 14-2-17

प्रतिलिपिः- आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 14.02.17

सरकार के विशेष सचिव

SEC:C:MAHDRAFTS